रजि सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2001/भाद्र 6, 1923
No. 613] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2001/BHADRA 6, 1923

वस्त्र मंत्रालय

पटसन आयुक्त का कार्यालय

आदेश

कोलकाता, 28 अगस्त, 2001

का.आ. 828(अ).—चूंकि, भारत सरकार, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने दिनांक 4 अक्तूबर, 1996 के सा.का.नि. 457(अ) के अनुसार हैसियन तथा सैकिंग्स (टांट) के निर्माण में गैर-हैलोजनकृत हाइड्रोकार्बन के प्रयोग हेतु अचूक प्रतिबन्ध लगाए हैं, अत: पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खण्ड 4 तथा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ए. के. कापास, पटसन आयुक्त एतद्द्वारा निदेश देता हूँ कि भारत में पैकिंग के लिए पटसन सामग्री में निर्जल निर्तेलाक्त आधार पर गैर-हैलोजनकृत हाइड्रोकार्बन (जूट बैचिंग ऑयल) की मात्रा भार में 3% से अधिक न हो।

मैं आगे निदेश देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पैकिंग उद्देश्य हेतु भार में 3% गैर-हैलोजनकृत हाइड्रोकार्बन (जूट बैचिंग ऑयल) से अधिक पटसन सामग्री का निर्माण तथा/या भण्डारण नहीं कर सकेंगे।

किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक उपयोगी वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू भी होगा।

[फा. सं. पटसन (टी)-6/11/86-II]
ए. के. कापास, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

ORDER

Kolkata, the 28th August, 2001

S.O. 828(E).—Whereas, the Government of India, Ministry of Environment and Forests vide G.S.R. 457(E) dated 4th October, 1996 imposed certain restrictions for the use of Non-halogenated Hydrocarbons in the manufacture of Hessian and Sackings; therefore in exercise of the powers conferred by clauses 4 and 6 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, A. K. Kapas, Jute Commissioner, hereby direct that content of Non-halogenated Hydrocarbon (Jute Batching Oil) on dry de-oiled basis in the jute goods for packaging purposes in India shall not exceed 3% by weight.

I further direct that no person shall manufacture and/or hold stock of jute goods meant for packaging purposes having more than 3% Non-halogenated Hydrocarbons (Jute Batching Oil) by weight.

Any person who contravenes the above order shall be punishable under Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955.

This notification shall take effect from the date of its publication in the official gazette.

[F. No. Jute(T)-6/11/86-II]
A. K. KAPAS, Jute Commissioner

2683 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054